पत्र संख्या–बजट–03/रा0, 2015–16 13 आर्थि/रा0,
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

प्रेषकः–

श्री ब्रजेश मेहरोत्रा
प्रधान सचिव।

सेवा में

निदेशक–सह–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग।
सभी जिला पदाधिकारी (आवंटन सूची के अनुसार)।
प्रभारी प्रमंडलीय राजभाषा उपनिदेशक–सह–प्रमंडलायुक्त के सचिव,
पटना प्रमंडल, पटना/मगध प्रमंडल, गया।

पटना/ दिनांक 05-1-2016 ~~दिसम्बर, 2015~~

विषयः– बजट शीर्ष– 2053– जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएँ–0008–राजभाषा स्थापना–मांग संख्या–04 तथा विपत्र कोड–"एन0 2053000940008" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में बकाया वेतनादि भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक द्वितीय राजभाषा (उर्दू) के अधीन उर्दू निदेशालय तथा राज्य के समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालयों में पदस्थापित एवं कार्यरत उर्दू अनुवादकों, सहायक उर्दू अनुवादकों, उच्च वर्गीय लिपिकों, निम्नवर्गीय लिपिकों एवं कार्यालय परिचारियों तथा प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालयों के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के बकाया वेतनादि यथा प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन, एवं वित्त विभाग के पत्रांक 5411/वि0, दिनांक 19.06.2015 के आलोक में उर्दू निदेशालय द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश सं0– उ0नि0–45/2013– 87/रा0, दिनांक–13.07.2015 के आलोक में लंबित बकाये वेतनादि की राशि के भुगतान एवं अन्य अनुषांगिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय के लिए निम्नरूप में (प्रमंडलदार/जिलावार आवंटन सूची के अनुसार) राशि आवंटित की जाती है :–

कोड	इकाइयों/ उप इकाइयों	आय–व्ययक अनुमान (2015–16)	प्रथम चौमाही के लिए पूर्व में आंबटित राशि	शेष अवधि हेतु द्वितीय आंबटन	वर्त्तमान में आबंटित राशि	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
01 01	वेतन	236000000	77880000	138053700	20066300	236000000
01 03	जी0 य0 भत्ता	278480000	91898000	169992000	16590000	278480000
01 04	मकान भत्ता	23200000	7656000	15312000	232000	23200000
01 05	परिवहन भत्ता	150000	49500	99000	1500	150000
01 06	चिकित्सा भत्ता	2150000	709500	1419000	21500	2150000
01 07	अन्य भत्ता	20000	6600	13200	200	20000
	कुल वेतन	**540000000**	**178199600**	**324888900**	**36911500**	**540000000**
06 01	चिकित्सा प्रतिपुर्ति	500000	0	0	500000	500000
11 01	यात्रा व्यय	150000	0	150000	0	150000
13 01	कार्यालय व्यय	150000	48000	102000	0	150000
13 06	वर्दी/ पोशाक	69000	21000	48000	0	69000
20 01	व्याय0 एवं वि0 सेवाएँ	20000	6000	14000	0	20000
	कुल योग	**540889000**	**178274600**	**325202900**	**37411500**	**540889000**

(कुल आवंटित राशि – तीन करोड़ चौहत्तर लाख ग्यारह हजार पाँच सौ रूपये मात्र)

2– यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 2561 / वि0, दिनांक 17.04.1998, 295 / वि0, दिनांक 24.03.2015 के आलोक में स्वीकृत है। वित्त विभाग के पत्रांक 400 / वि0, दिनांक 16.05.04 के आलोक में यदि वेतन मद की किसी उप इकाई में राशि का आवंटन आवश्यकता से कम हुआ हो तो उक्त मद की राशि की पूर्ति वेतन / वेतन मद की किसी दूसरी उप इकाई में आवंटित राशि से की जा सकती है। राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के अद्यतन आदेशों–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

3– आवंटित राशि के विरुद्ध निकासी का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से कराये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर प्राप्त वित्त विभाग के निदेशों एवं इस विभाग के पत्रांक–538 / रा0 दिनांक 30.07.06 एवं 1007 / रा0, दिनांक 06.12.06 के आलोक में कृत कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाए।

4– राशि की निकासी एवं व्ययन में बिहार वित्त नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, बजट हस्तक एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि0, दिनांक 17.04.1998 तथा समय–समय पर निर्गत तत्संबंधी आदेशों–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5– आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की सारी जबावदेही सम्बद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6– बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के आलोक में त्रैमासिक व्यय की सूचना प्रत्येक तिमाही (जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च) के अन्त में विभागीय फैक्स (सं0 0612–2217698 / 0612–2215258), स्पीड पोस्ट, विशेष दूत से अधोहस्ताक्षरी को विहित प्रपत्र में ससमय निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाए।

7– यह सुनिश्चित किया जाए कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग हो। अधीनस्थ कार्यालयों को राशि उपावंटित करते समय इस बात से आश्वस्त हो लें कि उन्हें आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है अथवा नहीं। यदि आवंटित राशि आवश्यकता से अधिक हो तो उन्हें यह निदेश दिया जाए कि 15 फरवरी, 2016 तक निश्चित रूप से अवशेष राशि प्रत्यर्पित कर दें।

8– चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्त आवंटन, कुल व्यय की गई राशि, कुल अवशेष तथा कुल प्रत्यर्पित की जानेवाली राशि की सूचना विहित प्रपत्र में 31.03.2016 तक निश्चित रूप से भेज दी जाए ताकि समेकित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन वित्त विभाग को ससमय उपलब्ध करायी जा सके।

9– उपावंटन निर्गत करने तथा राशि की निकासी एवं व्ययन की कार्रवाई के क्रम में सेवानिवृत्त / बिमार / मृत्य / निलंबित कर्मचारियों के बकाया वेतनादि / सेवान्त लाभ / जीवन निर्वाह भत्ता / कम्प्यूटर प्रशिक्षण की राशि के भुगतान तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनुलग्नक :– आवंटन सूची।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 4/1/16

प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या–बजट–03 / रा0–2015–16, 13 आ0वि0 / रा0, पटना, दिनांक ~~दिसम्बर, 2015~~ 05-1-2016

प्रतिलिपि:– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 4/1/16

प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या–बजट–03 / रा0–2015–16, 13 आ0वि0 / रा0, पटना, दिनांक ~~दिसम्बर, 2015~~ 05-1-2016

प्रतिलिपि:– सभी संबंधित प्रमंडलायुक्त / निदेशक, उर्दू / लेखा शाखा एवं बजट शाखा (तीन प्रतियों में) / आई0टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 4/1/16

प्रधान सचिव

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

बजट शीर्ष "2053–जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएं मांग संख्या–04 तथा विपत्र कोड–"एन 2053000940008" के अन्तर्गत

वित्तीय वर्ष–2015–16 में उपयोग हेतु आवंटन

क्र0 सं0	जिला / प्रमंडल	वेतन 01 01	जी0 या0 भ0 01 03	मकान भा0 01 04	परि0 भ0 01 05	चि0 भ0 01 06	अन्य भ0 01 07	कुल वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति 06 01	यात्रा व्यय 11 01	कार्या0 व्यय 13 01	वर्दी 13 06	व्य0 एवं वि0 सेवाएं 28 01	कुल योग	कुल योग (शब्दों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	पटना	1000000	1000000	50000	1500	1000	0	2052500	0	0	0	0	0	2052500	बीस लाख बावन हजार पाँच सौ रु0 मात्र
2	नालन्दा	800000	700000	5000	0	1000	0	1506000	0	0	0	0	0	1506000	पन्द्रह लाख छः हजार रु0 मात्र
3	कैमूर	300000	200000	5000	0	0	0	505000	0	0	0	0	0	505000	पाँच लाख पाँच हजार रु0 मात्र
4	भोजपुर	800000	700000	5000	0	1000	0	1506000	0	0	0	0	0	1506000	पन्द्रह लाख छः हजार रु0 मात्र
5	बक्सर	300000	200000	5000	0	0	0	505000	0	0	0	0	0	505000	पाँच लाख पाँच हजार रु0 मात्र
6	रोहतास	500000	500000	5000	0	1000	0	1006000	0	0	0	0	0	1006000	दस लाख छः हजार रु0 मात्र
7	मुजफ्फरपुर	1000000	800000	10000	0	1000	0	1811000	0	0	0	0	0	1811000	अठारह लाख ग्यारह हजार रु0 मात्र
8	वैशाली	1000000	800000	5000	0	500	0	1805500	0	0	0	0	0	1805500	अठारह लाख पाँच हजार पाँच सौ रु0 मात्र
9	सीतामढ़ी	500000	400000	5000	0	1000	0	906000	0	0	0	0	0	906000	नौ लाख छः हजार रु0 मात्र
10	प0 चम्पारण	500000	400000	5000	0	1000	0	906000	0	0	0	0	0	906000	नौ लाख छः हजार रु0 मात्र
11	पू0 चम्पारण	500000	400000	5000	0	0	0	905000	140000	0	0	0	0	1045000	दस लाख पैंतालीस हजार रु0 मात्र
12	गया	1000000	1000000	10000	0	1000	0	2011000	0	0	0	0	0	2011000	बीस लाख ग्यारह हजार रु0 मात्र
13	जहानाबाद	300000	300000	5000	0	0	0	605000	0	0	0	0	0	605000	छः लाख पाँच हजार रु0 मात्र
14	औरंगाबाद	500000	400000	5000	0	0	0	905000	0	0	0	0	0	905000	नौ लाख पाँच हजार रु0 मात्र
15	नवादा	500000	400000	5000	0	1000	0	906000	0	0	0	0	0	906000	नौ लाख छः हजार रु0 मात्र
16	भागलपुर	1000000	800000	5000	0	0	0	1805000	0	0	0	0	0	1805000	अठारह लाख पाँच हजार रु0 मात्र
17	बांका	300000	200000	5000	0	0	0	505000	0	0	0	0	0	505000	पाँच लाख पाँच हजार रु0 मात्र
18	बेगूसराय	500000	400000	5000	0	1000	0	906000	0	0	0	0	0	906000	नौ लाख छः हजार रु0 मात्र
19	खगड़िया	700000	500000	5000	0	1000	0	1206000	0	0	0	0	0	1206000	बारह लाख छः हजार रु0 मात्र
20	सहरसा	300000	200000	5000	0	0	0	505000	0	0	0	0	0	505000	पाँच लाख पाँच हजार रु0 मात्र
21	सुपौल	400000	200000	5000	0	0	0	605000	0	0	0	0	0	605000	छः लाख पाँच हजार रु0 मात्र
22	पूर्णिया	500000	500000	5000	0	1000	0	1006000	0	0	0	0	0	1006000	दस लाख छः हजार रु0 मात्र
23	कटिहार	500000	400000	5000	0	0	0	905000	0	0	0	0	0	905000	नौ लाख पाँच हजार रु0 मात्र

क्र0 सं0	जिला/ प्रमंडल	वेतन 01 01	जी0 या0 भ0 01 03	मकान भा0 01 04	परि0 भ0 01 05	चि0 भ0 01 06	अन्य भ0 01 07	कुल वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति 06 01	यात्रा व्यय 11 01	कार्या0 व्यय 13 01	वर्दी 13 06	व्या0 एवं वि0 सेवाएं 28 01	कुल योग	कुल योग (शब्दों में)
24	अररिया	300000	200000	5000	0	0	0	505000	0	0	0	0	0	505000	पाँच लाख पाँच हजार रु0 मात्र
25	किशनगंज	500000	500000	5000	0	1000	0	1006000	0	0	0	0	0	1006000	दस लाख छः हजार रु0 मात्र
26	दरभंगा	750000	490000	5000	0	1000	0	1246000	0	0	0	0	0	1246000	बारह लाख छीयालीस हजार रु0 मात्र
27	समस्तीपुर	800000	700000	7000	0	1000	0	1508000	0	0	0	0	0	1508000	पन्द्रह लाख आठ हजार रु0 मात्र
28	मधुबनी	700000	600000	5000	0	1000	0	1306000	360000	0	0	0	0	1666000	सोलह लाख छीयासठ हजार रु0 मात्र
29	छपरा	1000000	800000	5000	0	1000	0	1806000	0	0	0	0	0	1806000	अठारह लाख छः हजार रु0 मात्र
30	सिवान	800000	700000	10000	0	1000	0	1511000	0	0	0	0	0	1511000	पन्द्रह लाख ग्यारह हजार रु0 मात्र
31	राजभाषा मु0	516300	400000	5000	0	1000	200	922500	0	0	0	0	0	922500	नौ लाख बाईस हजार पाँच सौ रु0 मात्र
32	पटना प्रमंडल पटना	500000	400000	10000	0	1000	0	911000	0	0	0	0	0	911000	नौ लाख ग्यारह हजार रु0 मात्र
33	मगध प्रमंडल, गया	500000	400000	5000	0	1000	0	906000	0	0	0	0	0	906000	नौ लाख छः हजार रु0 मात्र
34	कुल योग	20066300	16590000	232000	1500	21500	200	36911500	500000	0	0	0	0	37411500	तीन करोड़ चौहत्तर लाख ग्यारह हजार पाँच सौ रु0 मात्र।

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव

पत्र सं0–बजट–04/रा0 2015–16....................................../रा0

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

निदेशक–सह–अपर सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग।

पटना, दिनांक–.......................

विषयः– **मुख्य शीर्ष–"2052 सचिवालय–सामान्य सेवाएं–राज्य योजना–090 सचिवालय–0101 राजभाषा" मांग सं0–04, विपत्र कोड–P2052000900101 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु राशि का आबंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में उर्दू निदेशालय द्वारा निर्गत राज्यादेश संख्या 645/रा०, दिनांक 16.12.2015 के आलोक में मुख्यालय हेतु आवंटन निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है :–

क0 सं0	प्राथमिक इकाई	वर्ष 2015–16 में आय व्ययक कुल उपबंध (रूपये में)	इस पत्र द्वारा दी जा रही आवंटित राशि (रूपये में)	अब तक आवंटित राशि (कॉलम 4 सहित)
1	2	3	4	5
1	2601 विज्ञापन और प्रकाशन	1,70,21,000	37,81,000	67,81,000
	कुल	**1,70,21,000**	**37,81,000**	**67,81,000**

2/ यह आबंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561/वि0, दिनांक 17.04.98, 295/वि0, दिनांक–24.03.2015, 396/वि0, दिनांक 24.04.2015 एवं 5294, दिनांक–17.06.2015 के अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3/ यह राशि उर्दू निदेशालय द्वारा 'जश्न–ए–उर्दू' एवं 'उर्दू दिवस समारोह' आयोजन पर व्यय की जाएगी।

4/ राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के अद्यतन आदेशों/निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

5/ आबंटित राशि का व्यय निर्धारित समय सीमा के अधीन सुनिश्चित किया जाए एवं व्यय की गई राशि की इकाईवार विवरणी बजट प्रशाखा/योजना प्रशाखा को यथासमय निश्चित रूप से प्रस्तुत की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञाप सं0–../रा0, पटना, दिनांक–....................................

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाती है।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0–../रा0, पटना, दिनांक–....................................

प्रतिलिपि : लेखा प्रशाखा (तीन प्रतियों में)/बजट प्रशाखा/योजना प्रशाखा/उर्दू निदेशालय को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाती है।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0–12 अ0/9.27**/रा0, पटना, दिनांक–**05-1-16

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अंकित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

4/1/16
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव

\\Dell-pc\e\Ratish- Pankaj (2014)\Alok Kumar\word\Budget-04-Ra 2015-16 (22-12-15).doc